

(7) The system of Loan Licensing should be abolished within a specified period;

(8) Setting up of a Laboratory at Bombay to test imported drugs;

(9) Introducing a Centrally Sponsored Scheme for assisting the States in strengthening the drug testing laboratories;

The recommendation numbers (1) to (8) have been accepted by the Government in principle.

रेल विभाग में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

1056. श्री कलराज मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की कोई व्यवस्था है, यदि हां, तो शरीर के किन-किन अंगों के विकल होने से कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने का पात्र हो जाता है;

(ख) क्या एक आंख से खराब व्यक्ति भी विकलांग माना जाता है और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को रोजगार न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है, कि आंख की दृष्टि से विकलांग कुछ व्यक्तियों को खासकर पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में रोजगार नहीं दिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : जी हां। केन्द्रीय सरकार के अर्धान सेवा नियोजन में आरक्षण के प्रयोजनों के लिए विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं। केवल वे ही व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए पात्र हैं जो संलग्न विवरण में यथापरिभाषित दृष्टिहीन हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

सेवानियोजन में आरक्षण के प्रयोजन के लिए विकलांग व्यक्तियों की कोटियों की परिभाषाएं

दृष्टिहीन

दृष्टिहीन वे हैं जो निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से प्रमाणित हैं :—

(क) पूर्ण दृष्टिहीनता।

(ख) बेहतर आंख में ऐनक लगाने के बाद दृष्टितीक्ष्णता 6/60 से अनधिक या 20/200 (सेनेलिन) हो।

(ग) दृष्टि के क्षेत्र के 20 अंश के कोण तक टेढा होने या इससे भी अधिक खराब होने की कमजोरी।

बधिर

बधिर वे हैं जिनमें श्रवण शक्ति जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए क्रियाशील नहीं है। वे ऊंची आवाज में भी किसी भी समय कोई ध्वनि सुन या समझ नहीं सकते। इस कोटि में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन्हें बेहतर कान में 90 डेसीबल से अधिक श्रवणहीनता (अत्यधिक खराबी) या दोनों कानों के बहरे पन से प्रमाणित है।

शारीरिक रूप से अपंग

शारीरिक रूप से अपंग वे व्यक्ति हैं जिनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष या शारीरिक विकृति है जिससे हड्डियों, मांस पेशियों और जोड़ों के सामान्य क्रियाकलाप में बाधा पड़ती है।